सं0– 678 /उन्तीस/05–2 –(62पे0)/2004

प्रेषक

कुँवर सिंह,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–

देहरादून :दिनांक 19 मार्च, 2005

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यकम जनजाति उपक्षेत्र योजनान्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 4066/जनजाति, दिनांक 08.11.2004 एंव पत्रांक 42/जनजाति/ दिनांक 04.01.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति उपक्षेत्र योजना के अधीन संलग्नक–1 में उल्लिखित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु रू0– 394.02 लाख (रू0 तीन करोड चोरानब्बे लाख दो हजार मात्र) की धनराशि संलग्नक–2 में बी0एम0–15 के अनुसार पुर्नविनियोजन से वहन कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि से ग्रामीण पेयजल योजनानाओं का निर्माण उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून, कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा आहरण के सम्बन्ध में बिल वाउचर एवं दिनांक की सूचना आहरण के तुरन्त बाद शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायगी जो संलग्न सूची में उल्लिखित है। धनराशि आहरण के एक सप्ताह के भीतर जनपदवार फॉट कर सम्बन्धित जनपदों को उपलबध कराते हुए इसकी सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2005 तक शासन को दी जायगी।

4– इस धनराशि के पूर्ण उपयोग एंव उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी किस्त का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा ।

कमश..2.

5– कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–ए–2–87(1)/दस–97–17(4)/275 दिनांक 27.02.97 के अनुसार सैंटेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गयी धनराशि में सैंटेज के रूप में व्यय की गयी धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सैंटेज चार्जेज 12.5 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगा । इसे कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर लिया जाय ।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्ड बुक नियमों तथा स्थानयी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । ऐसी योजनाओं पर धनराशि कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है अथवा जो विवादग्रस्त है ।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाशीध्र पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति का विवरण एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

8– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें ।

9– योजनाओं को त्वरित गति से पूर्ण कर मासिक रूप से योजनावार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनको उपलब्ध करा दिया जायेगां

9– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति– आयोजनागत–796–ट्राइबल सब प्लान–91–ग्रामीण जलसम्पूर्ति कार्यक्रम (जिलायोजना)–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जायेगा ।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 911/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 18 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या 678 (1) / उन्तीस / 05 / 2(62पे0) / 2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल / कुमाँयू ।
3– जिलाधिकारी, देहरादून / टिहरी गढ़वाल / पिथौरागढ़ ।
4– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान देहरादून ।
5–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून
6–वित्त अनुभाग–3 / वित्त बजट सेल / नियोजन अनुभाग, / समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।
7–नोडल अधिकारी (अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता) उत्तराचल पेयजल निगम, सम्बन्धित जनपद ।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी / मा0 पेयजल मंत्री जी ।
9– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
10–निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या 678 /उन्तीस/04–2(62पे0)/2004 दिनांक 19 मार्च, 2005 का

संलग्नक–1

(धनराशि रू0 लाख में।)

क0सं0	जनपद/योजना का नाम	अनुमानित लागत	पूर्व में अवमुक्त राशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
	चालू योजना			
	टिहरी गढ़वाल			
1	रैका	29.88	4.00	25.88
3	मोल्ठा तल्ला समूह	22.46	9.65	12.81
4	कन्डोला	21.93	4.70	17.23
5	मुनोग	15.81	8.20	7.61
	योग टिहरी गढ़वाल	90.08	26.55	63.53
	देहरादून			
6	खमरौली	67.12	15.00	52.12
7	कोटा मझगॉव पुनर्गठन	70.57	54.43	16.14
8	टयूटाड	63.94	10.09	53.85
9	बनियाना तोक	29.73	8.64	21.09
10	क्षतिग्रस्त पेयजल योजना 2003–04	29.57	13.71	15.86
11	लेल्टा तोक समूह	29.00	7.60	21.40
12	नराया तोक समूह	47.00	4.00	43.00
13	लक्सियार बापडांग तोक समूह	15.81	11.32	4.49
14	मेंघाटू आ0तो0समूह	16.48	3.00	13.48
	योग देहरादून	369.22	127.79	241.43
	कुल योग	459.30	154.34	304.96
	नई योजना,			
	देहरादून			
17	कनबुआ	36.00	–	10.00
18	सारनी	68.46	–	20.10
19	बिसऊ	25.00	–	05.00
20	डिमऊ	35.00	–	05.00
21	डांडा रारोडी	36.02	–	15.02
22	खणी कुईथा	25.00	–	15.00
	योग नई योजना देहरादून	225.48		70.12
	पिथौरागढ			
23	बुई	10.40	–	10.40
24	सेला	8.54	–	08.54
	योग पिथौरागढ	18.94		18.94
	योग नई योजना	244.42	–	89.06
	महायोग नई/पुरानी योजना	703.72	154.34	394.02

(रू0 तीन करोड़ चोरानब्बे लाख दो हजार मात्र)

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

बी0एम0-15 पुनर्विनियोग 2004-05 संलग्नक-2

आयोजनागत

नयन्त्रक अधिकारी - प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।

प्रशासनिक विभाग - पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

धनराशि (रू0 हजार में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मदवार अध्यावधिक स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-4 में अवशेष राशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि।
1	2	3	4	5	6	7	8
2215-जलपूर्ति तथा सफाई				2215- जलपूर्ति तथा सफाई			(क) भारत सरकार से धनराशि सीधे अवमुक्त होने के कारण प्राविधान में बचत हुई।
01-जलपूर्ति-आयोजनागत				01- जलपूर्ति-आयोजनागत			
102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम				796- ट्राइबल सब प्लान			
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				91- ग्रामीण जलसम्पूर्ति कार्यक्रम			(ख) वास्तविक आवश्यकता के कारण।
01-त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना 100% केन्द्रपोषित/एआरडब्लूएसपी				00-20- सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता 39402(ख)	61006	147067	
20-सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता 186469	–	–	186469(क)				
186469	–	–	186469	39402	61006	147067	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-3
संख्या: - 911(क)वित्त अनु0-3/2005
देहरादून : दिनांक 18 मार्च 2005
पुनर्विनियोजन स्वीकृत

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव वित्त

सेवा में,
महालेखाकार
उत्तरांचल, देहरादून

संख्या 678 (2)/उन्तीस/05-2-(62पे0)/2004, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1-कोषाधिकारी/ जिलाधिकारी, देहरादून । 2 वित्त अनुभाग-3,उत्तरांचल

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव